(111)

[redacted]

राजस्थान सरकार
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांक एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/ 5353 जयपुर, दिनांक 23/1/2018

समस्त जिला कलक्टर्स

.....

विषयः– दरोगा, वजीर, हजुरी, रावणा–राजपूत को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 11 (125)/आरएण्डपी/सकवि/52307 दिनांक 06.08.1994 द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में क्रम संख्या 11 पर दरोगा, रावणा–राजपूत, हजूरी एवं वजीर को अधिसूचित किया गया था। राज्य पिछडा वर्ग आयोग के राय के अनुसार उक्त अधिसूचित जातियों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछड़े वर्गों की सूची उनके सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें जाति, वर्ग द्वारा किये जाने वाला व्यवसाय तथा उनके निवास का स्थान महत्वपूर्ण होता है तथा एक ही वर्ग के सदस्यों को राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी संबोधित किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि एक वर्ग के रूप में जो जातियां अधिसूचित है वे उसी वर्ग की अलग अलग नाम से पुकारी जाने वाली जातियां हैं तथा उस वर्ग का सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन समान है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जाति यथा वजीर, हजूरी, दरोगा, रावणा–राजपूत चारों एक ही वर्ग की जातियां हैं और ये सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में पूर्व से अधिसूचना 6 अगस्त 1994 द्वारा कम संख्या 11 पर अधिसूचित हैं।

अतः क्र.स. 11 पर अंकित उक्त जातियों को यथावत रखते हुये पुर्व में उल्लेखित वर्गो को स्वीकारते हुए रावणा–राजपूत के अलावा जाति प्रमाण पत्र में वजीर(रावणा–राजपूत), हजूरी(रावणा–राजपूत), दरोगा (रावणा–राजपूत) अंकित किया जा सकता है।

(जे.सी. महान्ति) 23/1/2018
अति0 मुख्य सचिव

(106)